



लखनऊ, नई दिल्ली, गयपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

लखनऊ, मंगलवार, 26 फरवरी, 2019

पायनियर



रोमा के निर्देशक
अल्फोंसो कुरों के
नाम रहा ऑस्कर
विविध-16

राजधानी 2

जागरूकता से बढ़ेगा सोलर पावर संयंत्रों का उपयोग

● 235 लाभार्थियों के खातों में भेजी गयी 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को प्रदेश के 235 लाभार्थियों को 4.5 करोड़ का अनुदान एक किलक के माध्यम संबंधित लाभार्थी के बैंक खातों में अन्तरित करते हुए कहा कि रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर संयंत्रों के उपयोग के लिए आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इन संयंत्रों के स्थापित करके अधिक से अधिक लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही लखनऊ शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को यूपीनेडा मुख्यालय गोमतीनगर में प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा स्थापित रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर संयंत्रों के सापेक्ष केन्द्र एवं राज्य अनुदान धनराशि को उनके बैंक खातों में एक किलक के माध्यम



से अन्तरित किये जाने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ज्यादातर लाभार्थी लखनऊ शहर के ही हैं, लेकिन इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार पूरे प्रदेश में किया जाना चाहिए ताकि अन्य लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने कहा कि यूपी सोलर रूफटॉप पॉलिसी 2017 के प्रतिपादन उपरांत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रथमबार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 15000 रुपए प्रति किलोवाट अधिकतम 30000 रुपए तक राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दें ताकि आने वाले समय में प्रदूषण से भी बचा जा सके। प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा

स्रोत विभाग आलोक कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी संस्थानों, चैरिटेबिल संस्थाओं आदि के हित में राज्य विद्युत नियामक आयोग में पेटिशन फाईल किया गया है जिसमें ग्रॉस मीटिंग के स्थान पर नेट मीटिंग का प्रावधान बनाए रखें जाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी को आन्दोलन की तरह चलायें एवं अधिक से अधिक लोगों को सोलर पैनल अपने छतों पर लगाने के लिए विस्तार से अवगत करायें। इस समारोह के दौरान निदेशक यूपीनेडा सुशील कुमार पटेल द्वारा आश्वस्त किया गया कि सोलर रूफटॉप घरेलू एवं अन्य उपभोक्ताओं को अनुदान प्राप्त करने में किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।